जनपद स्तर पर सहायक निदेशक, डेरी विकास के सामान्य कर्तव्य एवं दायित्व का विवरणः–

1. जिला योजना, राज्य योजनान्तर्गत गंगा गाय महिला डेरी योजना व दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजनाओं तथा अन्य योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन करना,
2. जनपद में डेरी विकास हेतु संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं का निरीक्षण, सत्यापन एवं मार्गदर्शन करना,
3. दुग्ध संघ के माध्यम से दुग्ध समितियों का गठन कराना, इस हेतु संबंधित ग्रामों/क्षेत्रों का सर्वे करवाना, राजकीय सहायता उपलब्ध कराना तथा समिति स्तर पर निरीक्षण/सत्यापन सुनिश्चित कराते हुए मासिक रिपोर्ट उच्चाधिकारी को प्रस्तुत करना,
4. दुग्ध समितियों का गठन, निष्क्रिय समितियों को सक्रिय करना/डिरजिस्ट्रेशन की कार्यवाही करना, समितियों की सक्रियता हेतु सतत अनुश्रवण, उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु सर्वोच्च योगदान देना,
5. जनपद स्तर पर समय–समय पर केन्द्रीय दुग्ध समिति (दुग्ध संघ) एवं प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों में निर्वाचन कार्यों को सम्पन्न करना/करवाना,
6. जनपद स्तर पर गठित प्राथमिक दुग्ध समितियों का निबंधन करवाना,
7. प्राथमिक दुग्ध समितियों, दुग्ध अवशीतन केन्द्रों तथा दुग्ध संघ का समय–समय पर निरीक्षण करना एवं मार्गदर्शन प्रदान करना,
8. समस्त वर्ग की दुग्ध समितियों के संबंध में उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 सहपठित नियमावली, 2004 में निर्धारित सहायक निबंधक, दुग्ध सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करना तथा अधिनियम/नियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत दुग्ध संघ एवं प्रारंभिक दुग्ध सहकारी समितियों में उत्पन्न विवादों का समयबद्ध नियमानुसार निस्तारण करना,
9. केन्द्रीय दुग्ध समिति की प्रबन्ध कमेटी तथा समय–समय पर आयोजित अन्य बैठकों में नियमित प्रतिभाग करना, प्रबन्ध समिति द्वारा पारित किये जाने वाले अवैधानिक प्रस्तावों को रोकना तथा सदन को विषयगत मामलों में संगत नियमों के संबंध में अवगत कराना,
10. जनपद स्तर पर विभिन्न स्तरों पर आयोजित विभागीय बैठकों में प्रतिभाग करना,
11. जनपद स्तर पर विभिन्न योजनान्तर्गत समुचित प्रस्ताव तैयार करा कर उच्चाधिकारी/सक्षम स्तर पर प्रेषित करना,

निदेशक
डेयरी विकास उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

Scanned by CamScanner

12. अधिष्ठान से संबंधित समस्त प्रदत्त प्रशासकीय, स्थापना, आहरण वितरण तथा अन्य समस्त निहित शक्तियों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना तथा कार्यालय स्तर पर कार्यरत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों पर कार्यवाही करना,
13. विभिन्न योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का मदवार धनराशि का उपयोग सुनिश्चित कराते हुए, निर्धारित समय के भीतर उपयोगित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करना,
14. जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी / जिलाधिकारी के नियंत्रण में रहते हुए विकास कार्यों में सहयोग प्रदान करना तथा समय–समय पर उच्चाधिकारियों / विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत निर्देशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित करना।

निदेशक
डेयरी विकास उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

Scanned by CamScanner